

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99 पार्ट

जयपुर दिनांक 3/9/15

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.02.14 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री राजेन्द्र प्रसाद, अति० महाधिवक्ता, जयपुर को आवंटित राजस्व विभाग(सीलिंग मामलो को छोड़ कर) को उनसे प्रत्याहरित कर श्री धर्मवीर ठोलिया, अति० महाधिवक्ता को आवंटित किया जाता है। साथ ही श्री ठोलिया को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में पैरवी हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग भी आवंटित किया जाता है।

नोट:- उक्त आवंटन के अनुसार संबंधित प्रशासनिक विभाग अति० महाधिवक्ता को प्रकरण आवंटन हेतु प्रस्ताव पूर्व की भांति इस विभाग को प्रेषित करेंगे एवं जिस प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अति० महाधिवक्ता को सीधे ही नोटिस दिये जावेंगे उस प्रकरण में उसी अति० महाधिवक्ता की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग को भेजे जावेंगे।

४०


(दीपक माहेश्वरी)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि/प्रमुख शासन सचिव, न्याय/प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग।
2. महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद, अति० महाधिवक्ता, जयपुर।
4. श्री धर्मवीर ठोलिया, अति० महाधिवक्ता, जयपुर।
5. अति० महाधिवक्ता/ए.ओ.आर, नई दिल्ली।
6. समस्त जिला कलक्टर।
7. निदेशक, जनसंपर्क विभाग जयपुर/निबन्धक राजस्व मंडल अजमेर।
8. राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
9. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
11. रक्षित पत्रावली।



  
3.9.15

(गोवर्धन बाढदार)  
शासन सचिव, विधि